न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी

भागीरथराम (आरटीएस)

मि.न.170/17

दिनांक 23.11.17

सरकार बनाम सन्तराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायलान अनुपस्थित।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय कि पेश कि है कि सम्वत 2074 में वाके ग्राम मोरधा तहसील कोटपूतली के ख0 न0 1052/1.56है0मेंसे 1.56है0 किस्म जमीन बंजड पर संन्त राम पुत्र धोंकल राम जाति गुजर्र निवासी मोरधा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर ने जोत कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर । गैर सायल को विधिवत LR\ACT 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गये । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये तथा तथा जबाब पेश नहीं किया गया । अतः प्रत्रावली में संलग्न दस्तावेज तथा पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन करने पर गैर सायल का उक्त खसरा नंबर पर अतिक्रमण सिद्व होता है।इस लिये गैर सायल के विरूद्व एक पक्षिय कार्यवाही की जाति है।

अतः गैर सायल संन्तराम पुत्र धोंकल राम जाति गुजर्र निवासी मोरधा को वाके ग्राम मोरधा के आ0ख0न01052/1.56है0पर अतिकमि घोषित करते हुए उक्त आराजियात पर की गई जोत को हटाया **जाकर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।** **तथा नाजायज रूप से अतिक्रमण** करने के आरोप में लगान राशी 3.12रू का पचास गुणा 156रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है।

निर्णयानुसार बेदखली,पैनल्टी वसुली हेतु भू0 अ0 नि0 व पंटवारी हल्का को तहरीर जारी हो व माग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखा कार को लिखा जावे । निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दखील दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 23.11.17 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जयपुर)

...2... 0. ...... क... ...
... पृष्ठ संख्या 76.. पर 156/-
... कायम किये गये ।

राजस्व लेखाकार
कोटपूतली